न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग) भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

वाद सं०-१०९ सन् २०१७

छोटे लाल बनाम सुरेश ।

दिनांक ११.०९.२०१७

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र ६ ग २ मय शपथपत्र ७ ग २ अन्तर्गत आदेश ३९ नियम १ व २ सपिठत धारा १५१ सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची ८ ग के साथ दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया ।

प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के आशय से प्रस्तुत किया गया है । प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र ६ ग २ पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुए एक पक्षीय रूपसे वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो । आपत्ति आमंत्रित हो ।

वाद वास्ते आपत्ति /निस्तारण प्रार्थना पत्र ६ ग २ हेतु दिनांक ०४.१०.२०१७ को पेश हो ।

वादी उभय भांति पैरवी करे ।

प्रभारी - सिविल जज (अवर वर्ग)
भोगनीपुर,कानपुर- देहात ।
११.०९.२०१७